

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-216/2022
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत
मसो० समुन्द्री देवी—विक्रेता
प्रति
श्रीमती सविता देवी—क्रेता
-आदेश-

अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका/विक्रेता मसो० समुन्द्री देवी, पति-स्व० देवी चौधरी, ग्राम-हाटदोहर, पोस्ट-गोदरमाना, थाना-रंका, जिला-गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्रीमती सविता देवी, पिता-श्री भगवती चौधरी, ग्राम-रक्सी, पोस्ट-रमकण्डा, थाना-रमकण्डा, जिला-गढ़वा को छोटेनागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, रंका से आवेदन पत्र में दर्जित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, रंका के पत्रक 86/दिनांक 25.02.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन के साथ प्राप्त हुआ, एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि का विक्रेता के पति देवी चौधरी के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के मल्लाह सुरिया (मिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता जाति के मल्लाह सुरिया (मिछड़ा वर्ग) के सदस्य हैं, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदिका/विक्रेता के शांतिपूर्ण रखल-कब्जे में है। यह भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।


अतः अंचल अधिकारी, रंका के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदिका/विक्रेता मसो० समुन्द्री देवी, पति-स्व० देवी चौधरी, ग्राम-हाटदोहर, पोस्ट-गोदरमाना, थाना-रंका, जिला-गढ़वा ने क्रेता श्रीमती सविता देवी, पिता-श्री भगवती चौधरी, ग्राम-रक्सी, पोस्ट-रमकण्डा, थाना-रमकण्डा, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटेनागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:-


ग्राम	थाना सं०	खता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहद्दी
चुटिया (टोला-हाटदोहर)	141	पुराना-35 नया-75	पुराना-265 नया-1243	0.20	उ०-निज विक्रेता, द०-अमिरका चौधरी वर्ग० को रामकरण चौधरी, पू०-कन्हारू लोहार वर्ग०, प०-निज क्रेता को विजय यादव,
		पुराना-35 नया-75	पुराना-266 नया-1244	0.32	
कुल रकबा:-				0.52	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अपर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।



अपर समाहर्ता,
गढ़वा।



अपर समाहर्ता,
गढ़वा।